न्यायालय अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

विविध अपील संख्या – 15/2009

रूस्तम अली –बनाम– असगर अली

25/07/2022

–: आदेश :–

यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग के विविध वाद संख्या 35/2008–09 रूस्तम अली वगै0 –बनाम– राज्य में दिनांक 15.07.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध रूस्तम अली पिता स्व0 हाफिज इलाही बक्स द्वारा असगर अली पिता स्व0 गफुर मियाँ, अशरफ अली पिता स्व0 गफुर मियाँ एवं राज्य के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

उक्त दायर अपील वाद के आलोक में उभय पक्ष को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत् किया गया। निर्गत् नोटिस के आलोक में उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं विधिवत् सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

प्रथम पक्ष द्वारा लिखित अभिकथन दायर कर कहा गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा विविध वाद संख्या 35/2008–09 रूस्तम अली एवं अन्य–बनाम–राज्य में गलत आदेश पारित किया गया है। न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग द्वारा विविध वाद संख्या 35/2008–09 रूस्तम अली वगै0–बनाम–राज्य में निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :–

“........ अपीलार्थी को सूचना निर्गत् कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत् की गई। एक लम्बी अवधि बित जाने के बाद भी आवेदक द्वारा अपने पक्ष में काई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वाद के निष्पादन में कोई विशेष रूची ही ली गई।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों से आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। संभवतः प्रश्नगत् भूमि गैरमजरूआ सरकारी भूमि है जिस पर आवेदक गलत ढंग से दखल कब्जा किये हुए हैं और नाजायज ढंग से सरकारी रसीद हासिल करना चाहता है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को निदेश है कि प्रश्नगत् भूमि की जाँच कर सरकारी भूमि को खाली कराकर अपने कब्जे में सुरक्षित रखें ताकि

सरकार के निहित कार्यों में प्रश्नगत् भूखण्ड का उपयोग किया जा सके।"

प्रथम पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे। पुनः नोटिस निर्गत् कर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। सुनवाई के क्रम में दिनांक 02.02.2022 को अपलार्थी उपस्थित हुए और उनके तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत् विवादित भूमि के संबंध में उनके द्वारा कोई अपील आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि उक्त वाद की कार्यवाही में अपीलार्थी को किसी प्रकार की अभिरूचि नहीं है।

उक्त के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अंचल अधिकारी, कटकमदाग को निदेशित किया जाता है कि न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग द्वारा विविध वाद संख्या 35/2008-09 में दिनांक 15.07.2009 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आदेश पारित करने में विलम्ब हुआ।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.08.04 12:56:35 +05:30
Location: 192.168.100.2